

कार्यालय-जनपद न्यायाधीश (नजारत अनुभाग) कासगंज।

अल्पकालीन कोटेशन सूचना

एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश, कासगंज के स्वीकृत आदेश दिनांकित 21.03.2025 के अनुपालन में पुस्तकालय लिपिक जनपद न्यायालय कासगंज द्वारा प्रस्तुत 168 नग विधि पुस्तकों की जिल्दसाजी का कार्य कराये जाने सम्बन्धी पत्र दिनांकित 10.03.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष उक्त 168 नग विधि पुस्तकों के जिल्दसाजी का कार्य कराया जाना है। उक्त कार्य हेतु कोटेशन दिनांक 24.03.2025 तक आहूत किये जाते हैं।

अतः इच्छुक जी.एस.टी. रजिस्टर्ड फर्म/कुशन जिल्दसाज उक्त की बावत कोटेशन कार्यालय केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय कासगंज में दिनांक 24.03.2025 को सांय 1:00 बजे तक पंजीकृत डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय कासगंज से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

- 01- कोटेशन बन्द लिफाफे में जनपद न्यायाधीश कासगंज के कार्यालय केन्द्रीय नजारत में दिनांक 24.03.2025 तक (कार्यालय समय प्रातः 10:00 बजे से सांय 1:00 बजे तक) अंतिम रूप से स्वीकार किये जायेंगे।
- 02- कोटेशन दिनांक 24.03.2025 को सांयकाल 1:30 बजे क्रय समिति जनपद न्यायालय कासगंज के समक्ष खोले जायेंगे।
- 03- किसी भी कोटेशन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज का होगा।
- 04- किसी भी कोटेशन को बिना कोई कारण बताये माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
- 05- कोटेशन खोलने के समय फर्म का एक प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है।
- 06- वित्तीय वर्ष 2024-25 में कोटेशन में दिये गये मूल्य के अतिरिक्त कोई भी भुगतान जैसे किराया इत्यादि अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।
- 07- भुगतान विधि पुस्तकों की जिल्दसाजी का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त आपूर्ति प्राप्त होने पर किया जायेगा विलम्ब होने पर कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
- 08- कोटेशन में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय कासगंज में होगा।
- 09- कोटेशन खोलने के उपरान्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

दिनांक- 03.2025

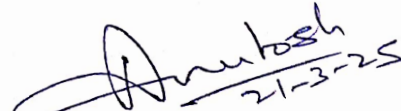
(अनुतोष कुमार शर्मा),
अध्यक्ष क्रय समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-1,
कासगंज।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 01- जिला सूचना अधिकारी कासगंज को G.O. No.562/19-2-2007-1007(T.C.) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क कराये जाने पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 02- 18 न्यायालय कक्ष भवन जजी कासगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 03- कलेक्ट्रेट कासगंज के सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 04- नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को जनपद न्यायालय कासगंज एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

दिनांक- 24.03.2025


(अनुतोष कुमार शर्मा),
अध्यक्ष क्रय समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-1,
कासगंज।